

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 89 / 2016

दर्ज दिनांक:—21.06.2016

1. सुजानसिंह पता—प्राथी
बनाम
2. दुलीचंद पता—अप्रार्थीगण

तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 09.10.2018

पत्रावली पेश। वकील वादीगण उपस्थित/पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार अवसर दिये जाने के बाद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया। दिनांक 29.10.2018 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अन्तर्गत ओ. —9—नि.—5—सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर